मुख्यालय, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश

पंचम तल, पिकप भवन विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ–226010.

दूरभाष : 0522–2306082. फैक्स : 0522–2306126, 2306085. ई–मेल : igprisons-up@nic.in

पत्रांक– 48607 /अध–2(5)16–12/पद सृजन/2013 दिनांक– ~~नवम्बर~~ 1.12, 2015

सेवा में,

सचिव,
कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन,
लखनऊ।

विषयः– **प्रदेश की विभिन्न कारागारों में निरूद्ध बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था को प्रभावशाली बनाने के लिए फार्मासिस्ट के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–25938/अध–2(5)/16/2012 दिनांक 17 अक्टूबर, 2012, पत्र संख्या–928/अध–2(5)/16–12/2013 दिनांक 10 जनवरी, 2013 एवं अंतिम अनुस्मारक पत्र संख्या–44624/अध–2(5)/16–12/2013 दिनांक 15.10..2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कारागारों की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु फार्मासिस्ट के 56 पदों का सृजन प्रस्तावित किया गया है, जिस पर शासन के आदेश प्रतीक्षित है।

उल्लेखनीय है कि कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की चिकित्सा व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किये जाने हेतु स्वास्थ्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर चिकित्सकों की तैनाती की जाती है तथा पैरामेडिकल स्टाफ कारागार विभाग द्वारा नियुक्त किया जाता है। वर्तमान में अधिकांश कारागारों में फार्मासिस्ट के मात्र 01 अथवा 02 पद सृजित हैं। चिकित्सकों की नियुक्ति प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण कारागारों पर चिकित्सकों के तैनाती सृजित पदों के सापेक्ष पूर्णरूप से नहीं हो पाती है। चिकित्सकों की पूर्ण तैनाती न होने से कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की चिकित्सा व्यवस्था कारागार पर तैनात फार्मासिस्टों पर निर्भर करती है।

कारागारों पर फार्मासिस्ट के पदों की स्वीकृत संख्या कम होने के कारण तैनात फार्मासिस्ट पर कार्य का अत्यधिक दबाव होने के साथ ही साथ कार्य ज्यादा होने के कारण बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था, कार्य क्षमता एवं गुणवत्ता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। बंदियों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग एवं विभिन्न न्यायालयों द्वारा समय–समय पर कड़े निर्देश दिये गये हैं परन्तु फार्मासिस्ट संवर्ग के कार्मिकों की कमी के दृष्टिगत उन निर्देशों का सम्पक पालन किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है, जिसके दृष्टिगत फार्मासिस्ट के प्रस्तावित अतिरिक्त पदों का सृजन अति आवश्यक है।

अतः प्रदेश की कारागारों में निरूद्ध बन्दियों की चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु फार्मासिस्ट के प्रस्तावित 56 पदों के सृजन की स्वीकृति शीघ्रातिशीघ्र प्रदान करने का कष्ट करें।

भवदीय,

01/12/15

(शरद)
उप महानिरीक्षक कारागार (मु0),
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश।

23-11-15

22-11-15